

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -176/2023

अनवान : -

1. बृजगर पुत्र हेतगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम्

1. इन्द्राजगर पुत्र हेतगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
2. बालि पत्नी कृष्ण जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
3. पवन पुत्र कृष्णगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
4. तेजपाल पुत्र कृष्णगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
5. गुडी पुत्री हेतगर उर्फ हेतराम जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
6. विनोद कुमारी पुत्री कृष्णगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
7. चुकेश पुत्री कृष्ण गिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
8. मोनिका पुत्री कृष्णगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर ।

— प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक: 10/5/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 297/253 की कुल तादादी 4.0210 है0 भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 5 व वादी की मृतक माता सुन्दर व वादी के भाई मृतक कृष्ण के ब0 हि0 ब0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है व रोही मौजा रेख मालिया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 153/148 के खसरा नं. 115/3 की 1.9100 है0 भूमि वादी के मृतक पिता हेतगर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है ।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात By Birth Right हक हिस्सा है ।

प्रतिवादीया संख्या 5 जो कि वादी की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयों व भाई के वारिसों पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 9 जो कि प्रतिवादीया संख्या 2 की पुत्रिया व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपनी माता व भाईयों के पक्ष

में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 5 ता 8 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त दोनो खातों की भूमि में से 1/3 हिस्सा पर वादी व 1/3 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 1 व 1/3 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीया स0 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 297/253 की कुल तादादी 4.0210 है0 भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 5 व वादी की मृतक माता सुन्दर व वादी के भाई मृतक कृष्ण के ब0 हि0 ब0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है व रोही मौजा रेख मालिया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 153/148 के खसरा नं. 115/3 की 1.9100 है0 भूमि वादी के मृतक पिता हेतगर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 8 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादी की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेख मालिया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 153/148 के खसरा नं. 115/3 की 1.9100 है0 भूमि में मृतक हेतगर पुत्र धनगर का नाम कलमजन किया जाकर वादी के 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के ब0 हि0 ब0 1/3

हिस्सा भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 297/253 की कुल तादादी 4.0210 है0 भूमि में मृतका सुन्दर पत्नी हेतराम, मृतक कृष्ण पुत्र हेतराम व प्रतिवादीया संख्या 5 का नाम कलमजन किया जाकर पहले से दर्ज सहित 1/3 हिस्सा वादी के 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के व 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं एवं मुताबिक शिर्षक राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक.....10/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-जबरासर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -176/2023

अनवान : -

1. बृजगर पुत्र हेतगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम्

1. इन्द्राजगर पुत्र हेतगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
2. बालि पत्नी कृष्ण जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
3. पवन पुत्र कृष्णगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
4. तेजपाल पुत्र कृष्णगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
5. गुडी पुत्री हेतगर उर्फ हेतराम जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
6. विनोद कुमारी पुत्री कृष्णगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
7. चुकेश पुत्री कृष्ण गिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर ।
8. मोनिका पुत्री कृष्णगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर ।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 176 सन 2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेख मालिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 153/148 के खसरा नं. 115/3 की 1.9100 है0 भूमि में मृतक हेतगर पुत्र धनगर का नाम कलमजन किया जाकर वादी के 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के ब0 हि0 ब0 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज की जावे तथा रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 297/253 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 4.0210 है0 भूमि में मृतका सुन्दर पत्नी हेतराम, मृतक कृष्ण पुत्र हेतराम व प्रतिवादीया संख्या 5 का नाम कलमजन किया जाकर पहले से दर्ज सहित 1/3 हिस्सा वादी के 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के व 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है मुताबिक शिर्षक राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।



(सत्यनारायण R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-जबरासर